दिनांक 23.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 342/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की लखनऊ तथा गोण्डा इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 23.06.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की लखनऊ तथा गोण्डा इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ इकाई द्वारा शिकायतकर्ता से पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता जी के नाम पर पेन्शन बनवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक टी.वी. वर्मा के नेतृत्व में लोक निर्मिण विभाग खण्ड-1 के बाहर मजार के पास से **वरिष्ठ सहायक संजय कुमार (लोक निर्माण विभाग)** निवासी ग्राम सियाथू थाना गोला जनपद लखीमपुर खीरी को **50 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोण्डा इकाई द्वारा राधेश्याम निवासी ग्राम गोपसराय थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा से फर्नीचर की दुकान चलाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्रीय वन अधिकारी तरबगंज रेन्ज परसदा के मेन गेट के पास से **वन दरोगा बालक राम (क्षेत्र बेलसर व तरबगंज वन रेंज तरबगंज)** पुत्र स्व0 चैतूराम निवासी ग्राम बंदरहा चिरैया थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को **06 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 23.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 343/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद उन्नाव/थाना औरास

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **भारी मात्रा में लूटी गयी पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **04 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22.06.2026 को थाना औरास व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–रंजीत 2–चन्द्रशेखर 3–आशीष कुमार उर्फ मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में लूटी गयी पीली–सफेद धातु के आभूषण, 04 लाख 50 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.06.2026 को थाना औरास क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना औरास पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण व रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त रंजीत के विरूद्ध जनपद अमेठी, रायबरेली, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर लूट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 20 अभियोग, अभियुक्त चन्द्रशेखर के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, अमेठी, सुलतानपुर व रायबरेली के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग व अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ मुकेश के विरूद्ध जनपद रायबरेली व अमेठी के विभिन्न थानों पर लूट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना औरास पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रंजीत निवासी पूरे सघंई सिंह थाना जामो जनपद अमेठी।

2–चन्द्रशेखर निवासी पूरे गंगा पाण्डेय थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

3–आशीष कुमार उर्फ मुकेश कुमार निवासी शान्ति मार्केट जगदीशपुर पालपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में लूटी गयी पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–04 लाख 50 हजार रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद इटावा/थाना सिविल लाइन

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 15 लाख 10 हजार रूपये नगद**
- **चोरी गई डीसीएम के पार्ट्स (केबिन, इंजन, सीएनजी सिलेंडर, फ्रंट एक्सल, क्राउन ट्यूब, 6 रिम) आदि**
- **03 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 स्कॉर्पियो बरामद**

दिनांक 22/23.06.2026 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम विचारपुरा के पास से 04 अभियुक्तों 1–याहया 2–इम्तियाज उर्फ इम्मन उर्फ चौनी 3–शौकीन 4–सतवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 15 लाख 10 हजार रूपये नगद, चोरी गई डीसीएम के पार्ट्स (केबिन, इंजन, सीएनजी सिलेंडर, फ्रंट एक्सल, क्राउन ट्यूब, 6 रिम) आदि, 03 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 स्कॉर्पियो बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20/21.05.2026 को थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा डीसीएम चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद डीसीएम पार्टस आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—याहया निवासी ग्राम पल्ला थाना नूंह सदर जनपद नूंह हरियाणा।

2—इम्तियाज उर्फ इम्मन उर्फ चौनी निवासी ग्राम पल्ला थाना नूंह सदर जनपद नूंह हरियाणा।

3—शौकीन निवासी ग्राम जैरौली थाना जैरौली जनपद अलवर राजस्थान।

4—सतवीर निवासी ग्राम शौंख भट्ठा थाना नूंह सदर जनपद नूंह हरियाणा।

बरामदगी

1—चोरी के माल बिक्री के 15 लाख 10 हजार रूपये नगद।

2—चोरी गई डीसीएम के पाट्र्स (केबिन, इंजन, सीएनजी सिलेंडर, फ्रंट एक्सल, क्राउन ट्यूब, 6 रिम) आदि।

3—03 मोबाइल फोन।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

5—01 स्कॉर्पियो।

- **जनपद खीरी/थाना गोला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 52 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद खीरी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद खीरी द्वारा थाना गोला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/324 के अन्तर्गत अभियुक्त राजीव को आजीवन कारावास व 52 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मऊ/थाना दोहरीघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना दोहरीघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/342/452/506

भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजेश को आजीवन कारावास व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना बांसडीह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना बांसडीह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बाल अपचारी रितेश को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————